न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 124 / 2021

निर्णय दिनांकः 29.9.2021

ऑनलाईन नम्बर 2021 / 208

मालाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। –अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा श्रीडूंगरगढ एकतरफा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट**

यह प्रार्थना पत्र मालाराम ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 5.76 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 251 तादादी 22 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 547 तादादी 19.87 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 348 तादादी 78 बीघा 10 बिस्वा वाकेरोही जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। उक्त खसरान की भूमि में से खसरा नम्बर 547 की भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जो प्रार्थी को जरिये तमलीकनामा प्राप्त हुई हैं तथा खेत खसरा नम्बर 373 की भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा कृषि भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। यह है कि उक्त खसरान की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम अंकित हो गया क्योंकि प्रार्थी को अपने घर परिवार व गांव व रिश्तेदारों में मालूराम व मालाराम दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता था। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम व मालूराम होने से प्रार्थी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का नाम सही नही होने के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की मुश्किलो, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह है कि प्रार्थी के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम, आधार कार्ड में मालाराम, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम व प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 रोही मौजा जालबसर के इंतकाल संख्या 117 में भी प्रार्थी का सही नाम मालाराम अंकित हैं। लेकिन हल्का पटवारी ने इंतकाल से जमाबंदी में नाम सहबन से अंकित करते वक्त मालाराम के स्थान पर मालूराम अंकित कर दिया। यह है कि रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम की जगह मालाराम अंकित करवाया जाना आवश्यक है। यह एक लिपिकीय भूल है, जो कि सुधारी जा सकती है [illegible] को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। यह है कि प्रार्थी ने अपनी [illegible] की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के यहां रहन रखकर [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 आवश्यक पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] पक्षकार संयोजित किया गया। क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 ने भी प्रार्थी के राज[illegible] रिकार्ड में नाम मालूराम [illegible]न्य दस्तावेजो में मालाराम अंकित होने की वजह से प्रार्थी को अपने केसीसी ऋण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 124/2021

निर्णय दिनांकः 29.9.2021

ऑनलाईन नम्बर 2021/208

मालाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। –अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा श्रीडूंगरगढ़ एकतरफा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट**

यह प्रार्थना पत्र मालाराम ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 5.76 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 251 तादादी 22 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 547 तादादी 19.87 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 348 तादादी 78 बीघा 10 बिस्वा वाकेरोही जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। उक्त खसरान की भूमि में से खसरा नम्बर 547 की भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जो प्रार्थी को जरिये तमलीकनामा प्राप्त हुई हैं तथा खेत खसरा नम्बर 373 की भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा कृषि भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। यह है कि उक्त खसरान की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम अंकित हो गया क्योंकि प्रार्थी को अपने घर परिवार व गांव व रिश्तेदारों में मालूराम व मालाराम दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता था। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम व मालूराम होने से प्रार्थी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का नाम सही नही होने के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की मुश्किलो, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह है कि प्रार्थी के राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम, आधार कार्ड में मालाराम, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम मालाराम व प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 रोही मौजा जालबसर के इंतकाल संख्या 117 में भी प्रार्थी का सही नाम मालाराम अंकित हैं। लेकिन हल्का पटवारी ने इंतकाल से जमाबंदी में नाम सहबन से अंकित करते वक्त मालाराम के स्थान पर मालूराम अंकित कर दिया। यह है कि रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम की जगह मालाराम अंकित करवाया जाना आवश्यक है। यह एक लिपिकीय भूल है, जो कि सुधारी जा सकती है। [illegible] को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। यह है कि प्रार्थी ने अपनी उपरो[illegible] खसरान की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के यहां रहन रखकर ऋण [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 आवश्यक पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 बैंक [illegible] पक्षकार संयोजित किया गया। क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 ने भी प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में नाम मालूराम व अन्य दस्तावेजो में मालाराम अंकित होने की वजह से प्रार्थी को अपने केसीसी ऋण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आगे चालू रखने से मना कर दिया व कहा कि रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाकर लाना पड़ेगा। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी ने निवेदन किया कि वो रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम के स्थान पर मालाराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि अदालत का हुक्म लेकर आवों। इस स्थिति में यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 5.76 हैक्टयर व खेत खसरा नम्बर 547 तादादी 19.87 हैक्टेयर वाकेरोही जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने के कारण श्रीमान् जी के श्रवणाअधिकार व क्षैत्राधिकार में आता है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 का रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मालूराम के स्थान पर मालाराम अंकित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकाराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टेट का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

खेत खसरा नम्बर 373 तादादी 5.76 हैक्टयर व खेत खसरा नम्बर 547 तादादी 19.87 हैक्टेयर वाकेरोही जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ़मे मालूराम के स्थान पर मालाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी जालबसर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करे। रहन यथावत रहेगा।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested